

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

( ई-मेल rajasthan\_idsp@yahoo.co.in)

क्रमांक: आई.डी.एस.पी. / 2020 / 223


दिनांक:02.03.2020

समस्त, जिला कलक्टर  
राजस्थान।

**विषय:-**कोरोना वायरस (Covid-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कन्टेनमेन्ट प्लान के अनुरूप कार्यवाही करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्व में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए आवश्यक है कि राज्य में इस रोग के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समय से पूर्व आवश्यक गतिविधियां सम्पादित की जावें। अतः पत्र के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु भारत सरकार से प्राप्त कन्टेनमेन्ट प्लान संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कन्टेनमेन्ट प्लान अनुसार आपके जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियां सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(रोहित कुमार सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

क्रमांक: आई.डी.एस.पी. / 2020 / 223

दिनांक:02.03.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त, संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
7. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
9. समस्त अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान।
10. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल करने वास्ते व वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।